

प्रेषक,

fax

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1- अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा

गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।

2- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

उत्तराखण्ड।

पत्रांक: सेवायें-3(4)/ 6765-75 /2015-16 दिनांक 02 जुलाई 2015

विषय:- विभागान्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा. शिक्षा मंत्री जी के पत्र सं0 555/VIP/मा0मंत्री विद्यालयी शिक्षा/ दिनांक 27.06.2015 द्वारा लिपिक संवर्गीय कार्मिकों के अनिवार्य/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र/स्थानान्तरण आवेदन पत्र जमा किये जाने की तिथि 05 जुलाई 2015 तक किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपने मण्डल/जनपद एवं अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के श्रेणीवार (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायकों) विकल्प पत्र/स्थानान्तरण आवेदन पत्र पूर्व निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05 जुलाई 2015 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

महोदय

(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प.सं./सेवायें-3(4)/ 6765-75 /2015-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस आशय से कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।